

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06082021-228812
SG-DL-E-06082021-228812

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]	दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2021/श्रावण 15, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 116
No. 02]	DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2021/SRAVANA 15, 1943	[N. C. T. D. No. 116

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि एवं भवन विभाग
(रिट शाखा)
अधिसूचना

दिल्ली, 5 अगस्त, 2021

सं. फा./1/37/03/ भू. व. भ. / रिट शाखा/1825-39.—माननीय उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 (7) के अर्थ में एतद द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए, दिल्ली सरकार और / या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा सचिव, भूमि एवं भवन विभाग/भूमि अधिग्रहण क्लैक्टर्स से सम्बंधित सभी मामलों में केंद्र सरकार और / या जन-अधिकारी, जिनके बचाव की जिम्मेदारी इसके द्वारा ली गयी है, के द्वारा या विरुद्ध किसी मुकदमे /अपील या अन्य किसी कार्यवाही के लिए श्री यीशु जैन, अधिवक्ता को स्थाई अधिवक्ता के रूप में उनके कार्यकाल को दिनांक 01.07.2021 से 31.03.2022 तक के लिए नियुक्त करते हैं।

श्री यीशु जैन, अधिवक्ता की स्थायी अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति अधिसूचना संख्या एफ.5(4)/Lit./2010/DS2 Law/578-580 दिनांक 27/04/2010 तथा समय-समय पर यथा विनिर्धारित निबंधन एवम शर्तों के अनुसार होगी।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से एवम उनके नाम पर,
अजय कुमार गुप्ता, विशेष सचिव (भूमि एवं भवन)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(Writ Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 5th August, 2021

No. F.1/37/2003/L&B/WC/1825-39.—The Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby approves the terms of Shri Yeeshu Jain, Advocate as Standing Counsel within the meaning of Section 2 (7) of the Code of Civil Procedure, 1908 for the High Court of Delhi at New Delhi in relation to any suit, Appeal, Writ or other proceedings by or against the Govt. of Delhi through Secretary, Land & Building Department and/or Union of India/Land Acquisition Collectors in relation to the affairs of the National Capital Territory of Delhi (Land & Building Department) and/or Public Officer (s) whose defense has been undertaken by it, for a period with effect from 01.07.2021 upto 31.03.2022.

The appointment of Shri Yeeshu Jain, Advocate as Standing Counsel will be subject to terms and conditions as contained in notification N.F.5(4)/Lit. /2010/DS2Law/578-580 dated 27/04/2010 and also as may be prescribed from time to time.

This notification shall come into force with immediate effect.

By order and in the name of
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi
AJAY KUMAR GUPTA, Spl. Secy. (L&B)